

डिजी वमुकदमें ईशदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रियां सहित  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा, आर.ए.एस.

मिसल नं० 376/2019.

अनवांन :-  
जोगेन्द सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति तरखान निवासी कमरानी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़

— वादी

बनाम

मोहन सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति तरखान निवासी कमरानी तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़

— प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल  
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल सिडाना, वकील वादी मिन जामिन मुदई हितेनद्र मोहन,  
मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी वादपत्र  
की चरण संख्या-2 में दर्ज चक नम्बर 4 एच.एम.एच. जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या-  
122 प0न0 168/272 (57) कि0न0 5 ता 7, 14 ता 17, 25 प्रत्येक सालम, प0न0 168/273  
(58) कि0न0 5 सालम, कुल तादादी 2.277 है0 कृषि भूमि में से प्रतिवादी के नाम दर्ज  
182/2277 हिस्सा में से 0.075 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी का हिस्सा  
कम किया जावे तथा उपरोक्त जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में वादी का निवास स्थान मसानी के  
स्थान पर कमरानी अंकित किया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय  
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 17.12.19 को खुले न्यायालय में  
जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी